गर्भ समापन: वर्तमान कानूनी स्थिति

गर्भ का चिकित्सीय (संशोधन) अधिनियम, 2002 तथा एमटीपी नियमावली, 2003

भूमिका

देश में गर्भपात या एम टी पी के प्रावधानों का प्रबंधन 'गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम' (एमटीपी कानून) के अंतर्गत आता है। यह कानून 1971 में पारित किया गया। असुरक्षित गर्भपात के कारण भारी संख्या में महिलाओं की मृत्यु एवं रुग्नावस्था को काबू में करने के लिए उसको पारित किया गया।

कुछ परिस्थितियों में, यह कानून 20 सप्ताह तक गर्भ समापन की अनुमति देता है। जो चिकित्सक सभी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गर्भपात की सेवाएँ प्रदान करते है, यह विधान उन्हें सुरक्षा देते है।

इस कानून का संशोधन दिसम्बर 2002 तथा इन नियमों का संशोधन जून 2003 में हुआ।

'गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम' के मुख्य अंश निम्न है:

गर्भ समापन कब किया जा सकता है?

20 सप्ताह तक की गर्भावधि के गर्भ का समापन किसी पंजीकृत डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है जिसकी ऐसी राय हो कि:

- गर्भावस्था को जारी रखना गर्भवती महिला के लिए जोखिम है या यह उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है।
- पैदा होने वाले बच्चे को भी शारीरिक या मानसिक असमान्यताँए होने की संभावना है।
- गर्भावस्था का कारण बलात्कार हो (मान लिया जाता है कि यह मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुँचा सकता है)।
- गर्भावस्था का कारण विवाहित महिला या उसके पति द्वारा प्रयोग किए गए गर्भ निरोधकों की असफलता हो (मान लिया जाता है कि यह अनचाहा गर्भ, स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकता है)।

मगर 12 से 20 सप्ताह तक के लिए दों पंजीकृत डॉक्टरों की राय आवश्यक है।

गर्भ समापन के लिए केवल महिला की सहमति आवश्यक है। उसके पति या अभिभावक की सहमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु एक नाबालिक लड़की (18 वर्ष से कम) या मानसिक रूप से रुग्न महिला के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है।

गर्भ समापन कौन कर सकता है?

केवल वही पंजीकृत डॉक्टर एम टी पी कर सकता है; (1) जिसके पास मान्य चिकित्सीय योग्यता हो जैसा कि मेडिकल काउन्सिल एक्ट, 1956 में वर्णित है; (2) जिसका नाम राज्य के मेडिकल पंजिका में दर्ज हो तथा; (3) जिसे स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान में वैसा अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त हो, जैसा इस कानून के चिकित्सीय गर्भ समापन (एम टी पी) नियमावली में निर्धारित है।

गर्भ समापन कहाँ किया जा सकता है?

एम टी पी केवल निम्न स्थानों पर किया जा सकता है:

1. सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्पतालों में

2. सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्मित ज़िला-स्तरीय समिति से मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर।

कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए, यह विधान केन्द्र सरकार को नियम बनाने का तथा राज्य सरकार को नियमनों का अधिकार देता है।

कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के नतीज़े

एमटीपी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के नतीज़े निम्नलिखित हैः

1. किसी अपंजीकृत डॉक्टर द्वारा गर्भ समापन करने पर उसे कम से कम दों वर्ष तथा अधिक से अधिक सात वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है।

2. मान्य स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर गर्भ समापन करने वाले को कम से कम दों वर्ष तथा अधिक से अधिक सात वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है।

3. यह सज़ा अमान्य जगह के मालिक के लिए भी लागू है अगर गर्भ समापन वहाँ हुआ हो।

अगर गर्भ समापन किसी अमान्य स्थान पर भी किया जाए या किसी ऐसे पंजीकृत डॉक्टर द्वारा किया जाए जिसके पास निर्धारित प्रसूति एवं स्त्री रोग का आवश्यक अनुभव या शिक्षण नहीं है तो ऐसी अवस्था में यह अपराध नहीं माना जाएगा अगर किसी पंजीकृत डॉक्टर की राय में यह गर्भ समापन महिला की जान बचाने के लिए आवश्यक है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003

जून 2003 में भारत सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए, जिनके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

ज़िला स्तरीय समिति की संरचना और कार्य अवधि

ज़िला-स्तरीय समिति का मुख्याधिकारी ज़िले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा और समिति में कम से कम तीन अथवा अधिकतम पाँच सदस्य होंगे।

1. ज़िला-स्तरीय समिति का एक सदस्य स्त्री रोग विज्ञानी/सर्जन/एनेस्थटिस्ट होगा और अन्य सदस्य स्थानीय चिकित्सक एवं गैर सरकारी संगठनों और ज़िले की पंचायती राज संस्था से होंगे।

2. समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है।

3. समिति की कार्य अवधि दों कैलेंडर वर्षों के लिए होगी और गैर सरकारी सदस्यों की कार्य अवधि दों कार्यकालों से अधिक नहीं होगी।

स्थान का अनुमोदन

नियमानुसार, स्थान का अनुमोदन केवल प्रथम तिमाही (12 सप्ताह) तक या प्रथम एवं द्वितीय तिमाही (20 सप्ताह) तक के लिए किया जा सकता है।

अनुमोदन के लिए निम्नलिखित सुविधाओं को होना आवश्यक है:

प्रथम तिमाही (12 सप्ताह तक): प्रसूति सम्बन्धित परीक्षण/प्रसव के लिए मेज़, जीवन रक्षक यंत्र, शुद्धिकरण यंत्र, औषधियाँ, आघात चिकित्सा (facilities for treatment of shock) का प्रबन्ध तथा यातायात के साधन की उपलब्धता।

द्वितीय तिमाही (20 सप्ताह तक): प्रसूति सम्बन्धित शल्य क्रिया के लिए मेज़, औज़ार, जीवन रक्षक यंत्र, शुद्धिकरण यन्त्र एवं आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़ने वाले यंत्र और पदार्थ जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हों।

औषधिक गर्भ समापन

भारत में सात सप्ताह तक के गर्भ का समापन औषधियों द्वारा वैध है। एक पंजीकृत डॉक्टर आर यू 486 एवं मिसोप्रोस्टल का प्रयोग कर अपने क्लीनिक में ही औषधिक गर्भ समापन की सुविधा प्रदान कर सकता है। स्थान अनुमोदित न होने पर भी चिकित्सक औषधिक गर्भपात प्रदान कर सकता है अगर उसकी पहुँच एक अनुमोदित स्थान तक है। इस संदर्भन संपर्क का प्रमाण पत्र अनुमोदित स्थान के मालिक द्वारा जारी किया जाएगा और इसका क्लीनिक में प्रदर्शित होना ज़रूरी है।

स्थान अनुमोदन की प्रक्रिया

जिस स्थान का मालिक एम टी पी नियमों के अधीन अपने स्थान को अनुमोदित करवाना चाहता है, वह इसका आवेदन प्ररूप 'क' पर देगा और यह आवेदन पत्र ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित होगा।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दों महीने के अंदर स्थान का निरीक्षण तथा अगले दों महीने के अन्दर स्वीकृति पत्र जारी हो जाना चाहिए। यदि स्थान में कुछ खामियाँ पाई जाती हैं, तब खामियाँ दूर होने के दों महीने के अन्दर स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। स्वीकृति पत्र प्ररूप 'बी' पर जारी होगा।

गर्भ समापन करने वाले पंजीकृत चिकित्सक के लिए आवश्यक अनुभव तथा प्रशिक्षण

नियमानुसार निम्नलिखित अनुभव तथा प्रशिक्षण से युक्त व्यक्ति ही चिकित्सीय गर्भ समापन कर सकता है:

20 सप्ताह तक की गर्भावधि के लिए:

- चिकित्सक जिसे स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा या स्नातकोतर डिग्री प्राप्त हो।
- चिकित्सक जिसने 6 महीने तक स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान में हाउस सर्जन का कार्य किया हो।
- साधन सुविधाओं से लैस किसी अस्पताल के स्त्री रोग तथा प्रसूति विभाग में चिकित्सक ने कम से कम एक वर्ष तक कार्य किया हो।

12 सप्ताह तक की गर्भावधि के लिए:

चिकित्सक जिसने किसी पंजीकृत चिकित्सक को पच्चीस गर्भ समापन केसों में सहायता दी हो। इनमें से कम से कम पाँच केस उसने स्वतंत्र रूप से सम्पन्न किये हों। ये सभी केस सरकार द्वारा स्थापित तथा संचालित अस्पतालों में या सरकार द्वारा मान्य प्रशिक्षण संस्थानों में हुए हों।

अन्य नियम

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वीकृत स्थानों पर जा कर निरीक्षण कर सकता है कि गर्भ समापन सुरक्षित व स्वच्छ हालातों में किया जा रहा है।

2. अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विश्वास है कि गर्भवती महिला आहत हुई है या उसकी मृत्यु हुई है या फिर गर्भ का समापन असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितियों में होता है, तो वह इसके बारे में जानकारी माँग सकते हैं अथवा दवा, यंत्र, प्रवेश पुस्तिका आदि भी प्राप्त करा सकते हैं।

3. यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण के दौरान क्लीनिक के रख-रखाव को अनुचित / असुरक्षित या अस्वच्छ पाते हैं तो वह इसकी सूचना ज़िला समिति को दे सकते हैं और ज़िला समिति स्वीकृति को निलम्बित कर सकती है। यह कार्यवाही स्थान के मालिक का पक्ष सुनने के उपरांत की जा सकती है। जगह का मालिक स्वीकृति निलम्बित होने के बाद दोबारा स्वीकृति के लिये आवेदन कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसे जगह पर सुधार कार्य कर लेना चाहिए। मालिक स्वीकृति निलम्बन के 2 महीने के भीतर ही पुननिरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

4. गर्भ समापन कराने वाली महिला की सहमति फॉर्म 'सी' पर ली जायेगी।

वैध और सुरक्षित गर्भ समापन

निम्नलिखित कोई भी गर्भ समापन कार्य वैध है अगर वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

- चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी ने किया हो।
- वह चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम द्वारा स्वीकृत स्थान पर किया गया हो।
- वह अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो, जैसे गर्भ की अवस्था, सम्मति, पंजीकृत अधिकारी की राय आदि।

Ipas

India Country Office, 2nd Floor, # 3 Palam Marg, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
Tel: 91-11-5166-2006. Fax: 91-11-5166-1711